कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

अपील संख्या 2307/2021 सुभाष चन्द्र कलाल बनाम सरकार में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2021 के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन दिनांक 22-07-2021 को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थिति के संबंध में देखा गया।

अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वे वर्तमान में प्राध्यापक–रसायन विज्ञान, राउमावि, थाणा, जिला डूंगरपुर में सेवारत हैं। उन्होने 01.06.02 के बाद तीसरी संतान होने के कारण एक एसीपी व तीन साल तक पदोन्नति रूकने का दण्ड भुगत लिया है। अपीलार्थी के अनुसार इनका मूल व्याख्याता चयन के आधार पर वरिष्ठता वर्ष 2013–14 एवं वरिष्ठता कमांक 1944 है। अपीलार्थी के अनुसार प्रधानाचार्य डीपीसी वर्ष 2021–22 में इनका नाम वरिष्ठता सूची में 2909 पर दर्ज होने के बावजूद तीसरी संतान होने के कारण हटा दिया गया। अतः इनका नाम प्रधानाचार्य डीपीसी में शामिल किया जाए।

माननीय अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2307/2021 सुभाष चन्द्र कलाल बनाम सरकार में आदेश दिनांक 19.07.2021 के द्वारा यह आदेशित किया गया कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि वह 2 माह की समयावधि में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधि अनुसार/नियमानुसार निस्तारित करते हुए एक समुचित, आख्यात्मक (Speaking) आदेश पारित करे।

अपीलार्थी द्वारा की जा रही मांग से संबंधित नियमों एवं अभिलेखीय स्थिति देखी गई। अपीलार्थी की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर आदेश दिनांक 25.01.96 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बडी साखथली, चित्तौड़गढ़ में हुई थी। इस आधार पर अपीलर्थी की वरिष्ठ अध्यापक पद की राज्य स्तरीय वरिष्ठता 1944 अवधि 1995–96 निर्धारित की गई। अतः यह स्वीकार नहीं है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता 1944 वरिष्ठता अवधि 2013–14 निर्धारित है। उक्त वरिष्ठता (1944/95–96) के आधार पर अपीलार्थी का व्याख्याता–स्कूल शिक्षा (रसायन) के पद पर डीपीसी वर्ष 2013–14 की रिक्ति पर चयन किया गया था परंतु अपीलार्थी की 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण उक्त चयन पर अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किया गया। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 25 के प्रावधानानुसार 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण पदोन्नति की देयता के 05 भर्ती वर्ष अर्थात 2018–19 तक अपीलार्थी पदोन्नति हेतु विचार योग्य नहीं था, परंतु कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 19-09-17 प्रभावी दिनांक 01-04-17 से उक्त अवधि 05 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष परिवर्तित किये जाने के कारण अपीलार्थी को वर्ष 2017–18 में रिव्यू डीपीसी से नियमानुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (रसायन) के पद पर पदोन्नत किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर डीपीसी वर्ष 2017–18 से चयनित है, एवं अपीलार्थी को व्याख्याता पद की वरिष्ठता 2017–18 में नियमित डीपीसी चयन के अनुसार देय बनती है। चूंकि अपीलार्थी 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण स्कूल व्याख्याता के पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु पात्र नहीं बनता है इस कारण वह उक्त वरिष्ठता अवधि 2013–14 हेतु निर्मित वरिष्ठता सूची में नियमानुसार नामांकित नहीं किया जा सकता है। प्रधानाचार्य पद की पदोन्नति वर्ष 2021–22 हेतु जारी अस्थाई पात्रता सूची में वर्तमान में डीपीसी वर्ष 2014–15 तक चयनित व्याख्याता ही सम्मिलित किये गये है। अपीलार्थी के वर्ष 2017–18 से चयनित व्याख्याता होने के कारण प्रधानाचार्य पद की वर्ष 2021–22 की डीपीसी हेतु जारी पात्रता सूची में सम्मिलित योग्य नहीं बनता है, अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त पात्रता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी की जा रही मांग विचार योग्य नहीं बनती है।

Rajasthan Education Department

Scanned with CamScanner

अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पदोन्नति के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों का अभिलेखीय एवं नियमों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरांत अधोहस्ताक्षकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद की वर्ष 2021–22 हेतु निर्मित पात्रता सूची में नाम सम्मिलित करने संबंधी की जा रही मांग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य / संस्था / डीपीसी / प्रभाग–2 / जय / RAT–2307 / 21SubhasC Kalal/22 दिनांकः 25/3/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 अतिरिक्त शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2 संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4 संबंधित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर
5 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जयपुर
6 अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा–माध्य / विधि / बी–3 / 29947 / डी / 2021 / 15 दिनांक 10.03.22 के संबंध में सूचनार्थ ।
7 संबंधित अपीलार्थी सुभाष चन्द्र कलाल, व्याख्याता (रसायन) स्कूल शिक्षा, राउमावि, थाणा, जिला डूंगरपुर को सूचनार्थ (रजिस्टर्ड)
8 रक्षित पत्रावली–शिविरा–माध्य / संस्था / डीपीसी / प्रभाग–2 / प्रधानाचार्य / 2021–22 / 22
9 सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक, कार्यालय हाजा, पोर्टल पर अपलोड हेतु

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner